

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग—3

लखनऊ दिनांक ०९ जुलाई, 2022

विषय—मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2021–22 में
उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—81/2017/2170/33-3-2017-212/2017
दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में पंचायत सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में उक्त योजनान्तर्गत पंचायतों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन ‘हमारी पंचायत पोर्टल’ (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर दिनांक 15 जुलाई, 2022 से प्राप्त किया जाना है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि “मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार” वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्नवत् उल्लिखित दिशा—निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा शासनादेश संख्या—1033/33-3-2022-345/2016टी.सी.—1, दिनांक 27 मई, 2022 में वर्णित 09 विषयों (थीम) पर किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया जाये :—

(1) योजना का उद्देश्य :-

- पंचायतों को अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं जनसामान्य के प्रति उत्तरदायी संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पुरस्कृत पंचायतों के कार्यों को आदर्श मानकर अन्य ग्राम पंचायतों भी इन पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर स्वयं की प्रेरणा स्त्रोत के रूप में कार्य करेगी।
- पंचायतों को पूर्व निर्धारित शासकीय अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने की प्रतिस्पर्धा जागृत कर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।
- ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना।

(2) सामान्य निर्देश :-

- ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2021–22 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर निर्धारित प्रश्नावलियों को ऑनलाइन ‘हमारी पंचायत पोर्टल’ के माध्यम



से स्व: मूल्यांकन कर दिनांक 30 अगस्त, 2022 तक जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति हेतु फ्रीज किया जाना होगा।

- योजनान्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर पर निम्नलिखित समितियों का गठन किया जायेगा, जिनकी अनुशंसा के आधार पर योजना को निष्पादित किया जायेगा। समितियों का स्वरूप एवं दायित्व निम्नवत् उल्लिखित प्रस्तर-4 पर वर्णित है –
 - (I) राज्य स्तरीय समिति “राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति”(SPAC)- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में।
 - (II) जनपद स्तरीय समिति “जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति”(DPAC)- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में।
- योजनान्तर्गत निम्नवत् उल्लिखित प्रस्तर-3 में प्रदत्त विषयों/क्षेत्रों के आधार पर 100 अंकों की प्रश्नावली जारी करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज अधिकृत होंगे, जिनके माध्यम से ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जायेगा।
- जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा आवेदित पंचायतों द्वारा प्रश्नावली में दर्शायी गयी सूचनाओं के स्थलीय सत्यापनोपरान्त समिति द्वारा प्रत्येक जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली चयनित 05 ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची पर अनुमोदन एवं संस्तुति प्रदान कर सॉफ्टवेयर (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर अंकित की जायेगी, जिनकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जनपद स्तरीय समिति को होगी।
- जनपदों से प्राप्त ग्राम पंचायतों की संस्तुति के आधार पर राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से पंचायतों के अंकों का अवरोही क्रम में निर्धारित कर ग्राम पंचायतों की सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद स्तर से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम संख्या एवं पुरस्कार धनराशि शासन द्वारा प्राविधानित बजट व्यवस्था अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- प्रत्येक जनपद के एक विकास खण्ड से 02 ग्राम पंचायतों से अधिक ग्राम पंचायतों को राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति को ऑनलाइन औग्रसारित नहीं किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत ऐसी ग्राम पंचायतें जो कि विगत 02 वर्षों से लगातार पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं, वे इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगी। इस निमित जनपद स्तरीय समिति द्वारा ऐसी पंचायतों को सॉफ्टवेयर पर अंकित नहीं किया जायेगा।
- चयनित ग्राम पंचायतों के प्रश्नवार साक्ष्य सहित समस्त मूल अभिलेखों की प्रमाणित प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेंगी, जिससे उच्च स्तर पर आवश्यकतानुसार इन पंचायतों के अभिलेखों की प्रति उपलब्ध करायी जा सके।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करने हेतु विचार नहीं किया जायेगा।



- हमारी पंचायत पोर्टल (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर आवेदन हेतु सचिव, ग्राम पंचायत एवं जनपदस्तरीय समिति (DPAC) के यूजर आईडी और पासवर्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी के ईमेल आईडी पर पंचायतीराज निवेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

(3) योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु शासनादेश संख्या—1033 / 33—3—2022—345 / 2016टी. सी.—1, दिनांक 27 मई, 2022 में वर्णित 09 विषय/क्षेत्र एवं अधिमान:—

क्र०सं०	क्षेत्र	कुल 100 अंक
01	थीम—01 गरीबी मुक्त गाँव	10 अंक
02	थीम—02 स्वस्थ गाँव	10 अंक
03	थीम—03 बाल मैत्री गाँव	10 अंक
04	थीम—04 पर्याप्त जल युक्त गाँव	10 अंक
05	थीम—05 स्वच्छ एवं हरित गाँव	10 अंक
06	थीम—06 आत्मनिर्भर बुनियादी ढाचे वाला गाँव	10 अंक
07	थीम—07 सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव	10 अंक
08	थीम—08 सुशासन वाला गाँव	20 अंक
09	थीम—09 महिला हितैषी गाँव	10 अंक

योजनान्तर्गत पुरस्कृत किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों का चयन उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में किये गये कार्यों के आधार पर किया जायेगा।

(4) समितियों का गठन एवं दायित्व:—

जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (DPAC):—

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	जिलाधिकारी, उ.प्र.	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
6	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
7	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य

जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (DPAC) के दायित्व:—

- (क) जनपद की उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों के चयन हेतु रणनीति तैयार करना।
- (ख) ग्राम पंचायतों द्वारा ऑन—लाइन भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर फ्रीज करना।
- (ग) ग्राम पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु टीम का गठन कर स्थलीय सत्यापन कराना।
- (घ) स्थलीय सत्यापन के पश्चात् निश्चित समयावधि में ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति को उपलब्ध कराना।
- (च) सचिव, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराना।

- (छ) ऑन-लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत के सचिव, प्रधान व पंचायत सहायक का जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- (ज) जनपद स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना एवं प्रश्नावली में वर्णित प्रश्नों का विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत सचिवालयों पर वॉल पैटिंग करायी जाये एवं अधिक से अधिक पंचायतों का योजनान्तर्गत प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- (झ) पुरस्कार धनराशि प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों से उपभोग प्रमाण-पत्र पंचायतीराज निदेशालय को निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना।

राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC)-

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
8	विशेष सचिव, अनुभाग-1/2/3, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।	सदस्य
9	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र।	सदस्य
10	निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. लखनऊ।	सदस्य सचिव
11	निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ.प्र।	सदस्य
12	अपर निदेशक/संयुक्त सचिव/उपनिदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ.प्र।	सदस्य संयोजक
13	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी/एक मुख्य विकास अधिकारी, चार ग्राम प्रधान जन एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि।	सदस्य

राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC) के दायित्व:-

- (क) योजनान्तर्गत बजट व्यवस्थानुसार कुल पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या एवं पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेना।
- (ख) पुरस्कार योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार करना।
- (ग) जनपद स्तरीय समितियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयनित ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को अवरोही क्रम में तैयार कर पुरस्कार दिये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
- (घ) पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को विभागीय वेब-साइट पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराना।
- (च) राज्य/मण्डल स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पुरस्कार वितरण समारोह की समय-सारिणी एवं बजट का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना।

- (छ) पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रयासों का अभिलेखीकरण एवं मुद्रण - करना।
- (ज) प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के व्यय संबंधी निर्णय लेना।
- (झ) योजना अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के मदवार बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करना।
- (ट) योजना संबंधी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने हेतु समिति अधिकृत होगी।

(5) ग्राम पंचायतों के आवेदन तथा चयन प्रक्रिया :-

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं निर्धारित प्रश्नावली पर ऑनलाइन मूल्यांकन कर निश्चित समय सीमा में अंकनकर पुरस्कार हेतु आवेदन किया जायेगा। जनपद स्तर पर गठित जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (**DPAC**) ग्राम पंचायतों द्वारा भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर उन्हें ऑनलाइन फ्रीज करेगी। जनपद स्तरीय समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या से न्यूनतम दोगुना ग्राम पंचायतों का अंको के अवरोही क्रम में चयन करेगी।

जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन दल गठित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। ग्राम पंचायतों के सत्यापन हेतु दिशा-निर्देश निदेशक पंचायतीराज द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे। सत्यापन दल स्थलीय सत्यापनोपरान्त रिपोर्ट जनपद स्तरीय समिति को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी तथा तदनुसार सर्वाधिक अंक वाली ग्राम पंचायतों (**DPAC** द्वारा निर्धारित पुरस्कृत की जाने वाली प्रत्येक जनपद से 05 ग्राम पंचायतों) की अंतिम सूची पुरस्कार हेतु राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति को ऑनलाईन अग्रसारित किया जायेगा।

इस प्रकार जनपदों से प्राप्त चयनित ग्राम पंचायतों की सूची निदेशक पंचायतीराज, उ0प्र0 द्वारा अवरोही क्रम में तैयार कर **SPAC** के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। तदपरान्त राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (**SPAC**) द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों की सूची जारी की जायेगी। **SPAC** का निर्णय अन्तिम होगा, जिसके उपरान्त कोई दावा मान्य न होगा।

उक्त समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संलग्न समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(6) बजट व्यवस्था

पुरस्कार मद में बजट की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की जायेगी, जिसको विभिन्न मदों में व्यय किये जाने संबंधी निर्णय लिये जाने हेतु राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (**SPAC**) अधिकृत होगी। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (**SPAC**) पुरस्कृत करने हेतु ग्राम पंचायतों की संख्या तथा पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेने हेतु समर्थ होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासन द्वारा किये गये आय-व्ययक प्राविधान रु0 2500 लाख में से चयनित ग्राम पंचायतों के पुरस्कार धनराशि एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जायेगा। वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि का पुरस्कार मद में व्यय करने के उपरान्त अधिकतम 05 प्रतिशत धनराशि को पुरस्कार समारोह आयोजन एवं अन्य प्रशासनिक मद में व्यय किया जा सकेगा। यदि पुरस्कृत की



जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ती या घटती है तो अनुमोदित बजट के मदों के विभाजन पर निर्णय लेने हेतु राज्य परफासमेंस असेसमेंट समिति (SPAC) अधिकृत होगी।

यथा साध्य कार्यक्रम अन्तर्गत समस्त कार्य माह नवम्बर, 2022 की तय सीमा तक पूर्ण करा दिये जायेंगे यदि किन्हीं कारणों से कुछ कार्य रह जाते हैं अथवा धनराशि शेष रह जाती है तो धनराशि आहरित कर इस धनराशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेशक, पंचायती राज के निर्वतन पर रखा जा सकेगा।


(7) पुरस्कार का स्वरूप

० पुरस्कार धनराशि— पुरस्कार धनराशि का निर्धारण वर्ष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर किया जायेगा एवं उक्त धनराशि सीधे चयनित ग्राम पंचायत के खाते में निवेशक, पंचायतीराज द्वारा ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी।

० प्रशस्ति पत्र।

(8) पुरस्कार वितरण

चयनित ग्राम पंचायतों को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य महानुभावों की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर/मण्डल स्तर पर आयोजित पुरस्कार वितरण/सम्मान समारोह में सम्मानित किया जायेगा। शासनादेश संख्या संख्या-81/2017/2170/33-3-2017-212 /2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को उक्त सीमा तक अवक्रमित किया जाता है।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
- 2— कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 3— प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
- 4— प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
- 5— प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
- 6— प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।
- 7— प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।
- 8— विशेष सचिव, 1/2/3, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
- 9— समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
- 10— मिशन निवेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।
- 11— निवेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
- 12— निवेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।
- 13— अपर निवेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 14— उपनिवेशक(पं0), पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 15— समस्त मण्डलीय उपनिवेशक (पं0) उ0प्र0।
- 16— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 17— समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 18— समस्त जिला विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

19— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

20— अपर_मुख्य_सचिव_पंचायती_राज_विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी / एक मुख्य विकास अधिकारी, चार प्रधान एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर शासकीय संगठन का प्रतिनिधि।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)

अनु सचिव।

शासनादेश संख्या—
**मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के परिवेक्षण एवं विभिन्न
कार्यकलापों की समय सारणी।**

क्र०सं०	गतिविधि	दिनांक
1	समस्त जनपदों को प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरने की जानकारी हेतु निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना।	10 जुलाई, 2022
2	मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु पंचायत राज की बेवसाइट 'हमारी पंचायत पोर्टल' (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं०) की देखरेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	15 जुलाई से 30 अगस्त 2022
3	पंचायतों द्वारा फीज की गई प्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा परीक्षण/अनुमोदन कर जनपद स्तरीय स्थलीय सत्यापन हेतु न्यूनतम दोगुना ग्राम पंचायतों को चयन करना।	05 सितम्बर, 2022
4	जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन दल गठित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन करना एवं सर्वाधिक अंक वाली प्रत्येक जनपद से 05 ग्राम पंचायतों को चयनित कर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष ऑनलाइन फीज करेगी।	30 सितम्बर, 2022
5	जनपद स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक जनपद से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 05 ग्राम पंचायतों की अभिलेखों सहित समिति की संस्तुति रिपोर्ट फिज की जायेगी।	05 अक्टूबर, 2022
6	राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा चयनित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन के समक्ष प्रस्तुत करना।	25 अक्टूबर, 2022
7	कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त ग्राम पंचायतों को पुरस्कार की धनराशि का हस्तान्तरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न किया जाना।	माह नवम्बर, 2022

नोट :- 1- उक्त योजनान्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार समय-सारणी निदेशक, पंचायतीराज द्वारा संशोधित की जा सकेगी।

2- समयसीमा के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रशावली 2022
थीम आधारित मूल्यांकन वर्ष 2021-22

प्रश्न संख्या	प्रश्न	अधिकतम अंक	अंक प्रदान करने हेतु मानक संविधित दस्तावेज़+	कुल पूणीक-100
	यीम-01 गरिवी मुक्त गाँव (10 अंक)	2	अंक प्रदान करने हेतु मानक संविधित दस्तावेज़+	
1.	मनरोग के लेघर बजट के सामेक्ष वित्तने जाव काई धारकों को रोजगार प्राप्त है।	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ जाव काई का भव्य रोल
2.	ग्राम पंचायत की कुल आबादी के सामेक्ष राशन काई की मूल वित्ती यूनिट जारी किया गया है?	2	75 से 100 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ बाल एवं रसद विभाग के प्रतिशत से कम पर शून्य अंक
3.	डी.वी.टी. के लिए ग्राम पंचायत में कितने प्रतिशत पाव वृष्टक रजिस्टर्ड हैं?	2	पाव वृष्टकों के 75 प्रतिशत से अधिक रजिस्टर्ड होने पर 02 अंक एवं 50-75 प्रतिशत तक 01 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ सञ्चालित जमिलेख की छायाप्रति
4.	जितने प्रतिशत कृषकों को किसान कोहिट काई निर्गत किया गया है?	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ किसान कोहिट काई धारकों की प्रमाणित सूची की छायाप्रति
5.	कितने पाव सहायता समूह (SHG) को कोहिट लिंकेज ग्राह हैं?	2	02 समूह पर 02 अंक 01 समूह पर 01 अंक एवं 01 समूह से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख की छायाप्रति
6.	वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में अब तक क्या ग्राम पंचायत में कोविड-19 का टीकाकरण किया गया है?	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ टीकाकरण कराने वाले लाभार्थियों की संखम स्तर से सत्यापित सूची।
	यादि हों तो कितने प्रतिशत हुआ है।			

7.	क्या ग्राम पंचायत में 01 चर्चे आयु राक के बच्चों का शत-प्रतिशत दीकाकरण हुआ है ? ग्राम पंचायत में 01 चर्चे की आयु तक के कुल बच्चों की संख्या	पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत	प्रतिरक्षित ग्रामवासी का प्रतिशत	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 एवं 50 से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ आगानबाड़ी एवं आसा का रजिस्टर एवं एनएम से सत्यापित प्रमाण-पत्र।
8.	क्या ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में ग्रामवासी महिलाओं का शत-प्रतिशत दीकाकरण हुआ है ? ग्राम पंचायत में कुल ग्रामवासी महिलाओं की संख्या की संख्या	पूर्ण प्रतिरक्षित ग्रामवासी महिलाओं की संख्या	ग्रामवासी महिलाओं का प्रतिशत	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ आसा का रजिस्टर एवं एनएम से सत्यापित प्रमाण-पत्र।
9.	वी.एच.एस.एन.डी. के लिए आवश्यक उपकरण (वेट मशीन, हीमोरिट्रिक, एम.यू.एसी.ट्रेप, आई.एफ.ए.ट्रैलोट, हबकटर) तथा व्यवस्थाएं हैं अथवा नहीं?			2	4 उपकरण पर 2 अंक 2 उपकरण पर 1 अंक 2 से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ असा का रजिस्टर एवं एनएम से सत्यापित प्रमाण-पत्र।
10.	वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल प्रसव के सापेक्ष संस्थागत प्रसव	कॉलम 01 के सापेक्ष संस्थागत प्रसव	संस्थागत प्रसव का प्रतिशत	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 एवं 50 से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ संबंधित उपकरणों के फोटोग्राफ व रजिस्टर की छायाप्रति सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ आसा का रजिस्टर एवं एनएम से सत्यापित प्रमाण-पत्र।
थीम- 03 बाल मैत्री गाँव (10 अंक)				2	विद्यालय में सत्यापन के समय 0 झापआउट पर 02 अंक, 01-05 झापआउट पर 01 अंक तथा 05 से अधिक झापआउट पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ सीचिंह से सत्यापित प्रारिवार रजिस्टर, सिक्षक से सत्यापित विद्यालय पंजीकरण रजिस्टर।
11.	ग्राम पंचायत में 06 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का नामांकन विद्यालयों में है ? • हों • नहीं			2	हों की दशा में 02 अंक नहीं की दशा में 00 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ फोटो, विज्ञापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ फोटोग्राफ विडियो।
12.	क्या ग्राम पंचायत में खेल का मैदान है ? • हों • नहीं			2	हों की दशा में 02 अंक नहीं की दशा में 00 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ फोटोग्राफ विडियो।
13.	1098 हेल्पलाइन / बाल अधिकार चार्टर की पेटिंग विद्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक भवन पर है अथवा नहीं? • हों • नहीं			2	हों की दशा में 02 अंक नहीं की दशा में 00 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ फोटोग्राफ
14.	क्या वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में बच्चों का शर्त-प्रतिशत सी.आर.एस. पोर्टल पर जन्म पंजीकरण हुआ है ? वर्ष 2021-22 में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या	सी.आर.एस. पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों का प्रतिशत	पंजीकृत बच्चों का प्रतिशत	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ आसा/एनएम के रजिस्टर की प्रति तथा सी.आर.एस. पोर्टल की रिपोर्ट की प्रति।
15.	आगनबाड़ी केन्द्र में बाल मैत्री शोभालय निर्मित है अथवा नहीं? • हों • नहीं			2	हों की दशा में 02 अंक नहीं की दशा में 00 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के फोटोग्राफ

शीर्ष- 04 पर्याप्त जल उक्त गाँव (10 अंक)

16. पंचायत भवन / विद्यालय में रेनवाटर हार्डिस्ट्रा (RWH) है अथवा नहीं? पंचायत भवन <input type="checkbox"/> विद्यालय <input type="checkbox"/>	2	दोनों में RWH होने पर 02 अंक किसी 01 में RWH होने पर 01 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
17. ग्राम पंचायत में स्थित तालाबों में गहरीकरण/हिस्तटेशन किया गया है अथवा नहीं, • हों • नहीं	2	हों पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
18. जल चैटक/रेली/प्रतियोगिता आदि) की गयी है अथवा नहीं? • हों • नहीं	2	हों पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व गाई.इ.सी. से संबंधित अमिलेखों की आयाप्रति व फोटोग्राफ
19. ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के सभीप सोख्ता गड़दों का निर्माण किया गया है अथवा नहीं? • हों • नहीं हों कि स्थिति में कुल कितने हैण्डपम्पों के सभीप सोख्ता गड़दों का निर्माण किया गया है <input type="checkbox"/>	2	10 से अधिक सोख्ता गड़दों के निर्माण पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक पर 01 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
20. ग्राम पंचायत में जल निकायों (Water Bodies) संरक्षण एवं साफ़-सफाई हेतु किये गये प्रयास। तालाबों की पालीयीन/लाइसेंस मुक्त किया गया है।	2	75 प्रतिशत से अधिक 02 अंक, 50 से 05-10 तक सोख्ता गड़दों के निर्माण पर 01 अंक	सत्यापनदल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम पंचायत का विवाही रजिस्टर, फोटोग्राफ़ वीडियो
शीर्ष-5 स्वरूप एवं हरित गाँव (10 अंक)			
21. क्या ग्राम पंचायत खुले में शोधमुक्त है अथवा नहीं? • हों • नहीं	2	हों पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अमिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ
22. ग्राम पंचायत ओडीएफ.एस्स हेतु ठास एवं तरल अपरिष्ट प्रबन्धन किया गया है अथवा नहीं ? • हों • नहीं	2	ठोस एवं तरल दोनों के प्रबन्धन पर 02 अंक एवं किसी 1 के प्रबन्धन पर 01 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अमिलेखों की छायाप्रति
23. सामुदायिक शोधालय सचालित है अथवा नहीं? • हों • नहीं	2	हों पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अमिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ
24. वर्ष 2021-22 में किये गये कुल वृक्षारोपण के सारांश कितने पौधे जीवित हैं? जीवित पौधों का प्रतिशत वर्ष 2021-22 में कुल रोपित वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं जीवित पौधों का प्रतिशत पौधों की संख्या	2	75 प्रतिशत से अधिक 02 अंक, 50 से 75 प्रतिशत को 01 अंक उससे कम की स्थिति में शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अमिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ

25.	ग्राम पंचायत में कूड़ा / कचरा जल-जमाव की स्थिति?	2	कूड़ा / कचरा नहीं पर 01 अंक एवं जल-जमाव नहीं पर 02 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
26.	ग्राम सचिवालय समस्त उपकरणों के साथ सचालित हो रहा है अथवा नहीं?	2	हों पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व अधारपत्र व फोटोग्राफ
27.	ग्राम पंचायत में आगनवाड़ी केन्द्र अलग से बना है अथवा नहीं?	2	हों पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अग्रिमतेखों की अधारपत्र व फोटोग्राफ
28.	प्रथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प है अथवा नहीं?	2	हों पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अग्रिमतेखों की अधारपत्र व फोटोग्राफ
29.	पार्क/ओपेन जिम का निर्माण किया गया है अथवा नहीं?	2	हों पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अग्रिमतेखों की अधारपत्र व फोटोग्राफ
30.	ग्राम पंचायत के मार्गों पर प्रकाश यद्वस्था हेतु स्ट्रीट लाइट लगाये गये हैं अथवा नहीं?	2	50 से अधिक स्ट्रीटलाइट पर 02 अंक एवं 10 से 50 स्ट्रीटलाइट पर 01 अंक तथा 10 से कम स्ट्रीटलाइट पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अग्रिमतेखों की अधारपत्र व फोटोग्राफ
थीम- 06 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गाँव (10 अंक)		2	वर्ष के 12 माहों में वितरण किया जा रहा है अथवा नहीं ?	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ कोटेदार एवं रजिस्टर की प्रति तथा चैलेंजर द्वारा प्रदर्शित लाभार्थियों की सूची की फोटो।
31.	प्रत्येक माह राशन का वितरण किया जा रहा है अथवा नहीं ?	2	वर्ष के 12 माहों में वितरण होने पर 02 अंक एवं नहीं होने पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ कोटेदार एवं रजिस्टर की प्रति तथा चैलेंजर द्वारा प्रदर्शित लाभार्थियों की सूची की फोटो।
32.	ग्राम पंचायत के सभी पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा, पेशन (विधवा/वृद्धोत्तमा एवं दिव्यांग पेशन) मिल रही है अथवा नहीं?	2	सत्यापन के समय पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष मात्र 2 लाभार्थी पेशन दिलान पाये जाते हैं तो 2 अंक 2 से 5 तक लाभार्थी पेशन दिलान पाये जाते हैं तो 01 अंक 5 से अधिक लाभार्थी पेशन दिलान पाये जाते हैं तो शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ लाभार्थियों की सक्षम स्तर से प्रमाणित सूची व पासवुक की अधारपत्र

33. ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कितने लाभार्थियों को लाभ प्राप्त है?	2	75 प्रतिशत से अधिक 02 अंक, 50 से 74 प्रतिशत को 01 अंक, उससे कम की स्थिति में शून्य अंक
पात्र लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
34. ग्राम पंचायत में पारिवारिक योजना लाभ/आपदा राहत धनराशि के कितने लाभार्थियों को लाभ प्राप्त है?	2	05 या अधिक पर 02 अंक, 02 से 4 लाभार्थियों पर 01 अंक एवं 02 से कम पर शून्य अंक
लाभार्थियों की संख्या		
35. ग्राम पंचायत में विवाह अनुदान/सामूहिक विवाह योजना में कितने लाभार्थियों को लाभ प्राप्त है?	2	05 या अधिक पर 02 अंक, 02 से 4 लाभार्थियों पर 01 अंक एवं 02 से कम पर शून्य अंक
लाभार्थियों की संख्या		
थीम-8 सुशासन वाला गाँव (20 अंक)		
36. क्या ग्राम पंचायत द्वारा निजी रथोत्तो से स्वयं की आय में वृद्धि की गयी है?	2	5000 या अधिक की स्थिति में 02 अंक, 1000 से 4999 तक 01 अंक एवं 1000 से कम पर शून्य अंक
वर्ष 2020-21 की आय	वर्ष 2021-22 की आय	वृद्धि
37. क्या ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2021-22 में बैठकों का आयोजन सत्रमय किया जा रहा है?	2	02 बैठक पर 01 अंक तथा 02 से अधिक बैठकों पर 02 अंक
ग्राम सभा में आयोजित कुल बैठकों की संख्या		
38. क्या ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में सभी 12 बैठकों का आयोजन सत्रमय किया गया?	2	100 प्रतिशत पर 02 अंक, 75-99 प्रतिशत तक 01 अंक तथा 75 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक
कुल ग्राम पंचायत बैठक	कुल बैठक का आयोजन	प्रतिशत
12		
39. ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक कार्यालय है अथवा नहीं?	2	ही पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक
• ही		
• नहीं		

40.	क्या ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 के खाते का सत्समय आइट कराया गया है एवं 'आइट आनलाइन साप्टवेयर' के माध्यम से आइट का कार्य किया गया है?	2	हाँ की स्थिति पर 02 अंक • हाँ • नहीं यदि हाँ, संलग्न करें • वर्ष 2020-21 की आइट रिपोर्ट	सत्यापनदल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर की घायाप्रति, आइट रिपोर्ट एवं केश तुका।
41.	ग्राम पंचायत में निर्साकृत गावशंख हेतु गावालता का निर्माण किया गया है अथवा नहीं ?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर 02 अंक • हाँ • नहीं	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
42.	वर्ष 2022-23 की कार्यवाही/ जी.पी.डी.पी. में निर्धारित 05 चरणों का पालन किया गया है?	2	सभी 5 चरणों के क्रिया-व्ययन पर 02 अंक एवं 03-04 चरणों पर 01 अंक तथा 03 से कम पर शून्य अंके परिवेश का विस्तरण आवश्यकता/समस्याओं का विचारणकरण इपट कार्यालयों की विभागों के बीच सम्पर्क स्थिरता अंतिम तैयार कार्यालयों की ग्राम सभा में वित्तीय/प्रशासनिक स्थिरता	सत्यापनदल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर फोटोग्राफ उक्त के साथ-ग्रामवासियों के व्यापार आदि।
43.	ग्राम पंचायत निवेदि में विभिन्न ग्रामों व योजनाओं से हो रहे आय-व्यय का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थल पर किया गया है अथवा नहीं?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर 02 अंक • हाँ • नहीं	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
44.	आई.जी.आर.एस. अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत के समस्त शिकायत का निर्धारित फोटेल (मुख्यमंत्री संदर्भ, ऑनलाइन संदर्भ आदि) का निरसारण किया गया है, वर्तमान में कोई अवशेष नहीं है ?	2	अवशेष होने पर शून्य अंक एवं अवशेष नहीं होने पर 02 अंक • अवशेष है • अवशेष नहीं है	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ पर निरसारण की प्रति
45.	ग्राम सचिवालय में जनसेवा केंद्र का को-लोकेशन किया गया है अथवा नहीं ?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर 02 अंक • हाँ • नहीं	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
थीसें- 09 महिला हितोंगी गोव (10 अंक)				
46.	क्या ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में यात्रिक-यात्रिकाओं का पृथक-पृथक शौचालय निर्मित किया गया है?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर 02 अंक • हाँ • नहीं	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
47.	ग्राम पंचायत के विद्यालयों/ सार्वजनिक भवनों में इन्जेनिनर / मार्गिक धर्म प्रवर्धन की व्यवस्था स्थापित है?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर 02 अंक • हाँ • नहीं	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ

48. देशी गर्भवती / धात्री महिलाओं और किशोरियों को गुणवत्तापूर्ण पोषिक भोजन / पोषाहर का नियमित वितरण किया जा सकता है?	2 - हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर 01 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ आंगनबाड़ी का रजिस्टर।
49. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पात्र लाभार्थियों के सामग्री लाभार्थियों की वित्ती	2	75 से अधिक पर 02 अंक, 50-75 पर 01 अंक तथा 50 से कम पर शून्य अंक
पात्र लाभार्थियों की सख्ता लाभार्थियों की सख्ता प्रतिशत		सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेख तथा फोटोग्राफ
50. देशी ग्राम पचायत में 1090, 102 एवं 112 हेल्पलाइन को आई-ई-सी. की गयी है?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक
• हाँ		सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेख तथा फोटोग्राफ
• नहीं		